हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–52/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत पंजाब एक्साईज, (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2011 का विधेयक संख्यांक 28

पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त; और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू, पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 27 का संशोधन.**–पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में लागू पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 की धारा 27 की उपधारा (1) में, "State Government may lease to any man" और "Country liquor or intoxicating drug", शब्दों के स्थान पर क्रमशः "Financial Commissioner (Excise) may lease or sub-lease to any person" और "excisable article" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. 2011 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.–(1) पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2011 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पंजाब पुनगर्ठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त; और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू पंजाब एक्साइज़ ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 27 राज्य सरकार द्वारा, किसी भी प्रकार की शराब (लिकर) के विनिर्माण, उसकी थोक या खुदरा बिक्री हेतु, पट्टा अनुदान का उपबन्ध करती है परन्तु इसमें उप–पट्टे के लिए कोई उपबन्ध नहीं है और यह पाया गया है कि पट्टे के प्रत्येक मामले को राज्य सरकार को भेजा जाना अपेक्षित है जिसमें ज्यादा समय लगने के कारण राजस्व प्रभावित होता है। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि इन शक्तियों को वित्तायुक्त (आबकारी) को प्रत्यायोजित कर दिया जाए ताकि पट्टे और उप–पट्टे के समस्त मामलों का समयबद्ध रीति में निपटारा हो जाए। इससे आबकारी राजस्व में भी सुधार होगा।

क्योंकि राज्य विधानसभा सत्र में नहीं थी और मामला अत्यावश्यक था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एक्साइज़ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 1) तारीख 19–10–2011 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 28–10–2011 को प्रकाशित किया गया था। अब अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख :....., 2011.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 of 2011

THE PUNJAB EXCISE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No.1 of 1914) as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966(31 of 1966); and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966, vide the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 27.—In section 27 of the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966, and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966, in sub-section (1), for the words "State Government may lease to any man" and "country liquor or intoxicating drug", the words and signs "Financial Commissioner (Excise) may lease or sub-lease to any person" and "excisable article" shall respectively be substituted.

3. Repeal of Ordinance No. 3 of 2011 and savings.—(1) The Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2011 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 27 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914), as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966) and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 *vide* the Himchal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949, provide for grant of lease by the State Government for manufacture, sale by wholesale or by retail of any liquor, but there is no provision of sub-lease, and it is felt that each case of lease is required to be sent to the State Government which takes much time thereby affecting the Government revenue. Thus, it has been proposed that these powers may be delegated upon the Financial Commissioner (Excise) so that all cases of leases or sub-leases are disposed of in a time bound manner. This will also improve the excise revenue.

Since, the State Legislative Assembly was not in session and the matter was urgent, therefore, H.E. the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers under article 213(1) of the Constitution of India, promulgated the Punjab Excise (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 3 of 2011) on 19-10-2011 which was published in H.P.

Rajpatra on 28-10-2011. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Dharamshala :

The…….....…, 2011

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—